UPRB010041782026

न्यायालय प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम, (उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1813/26

1– सरफराज अली उम्र 23 वर्ष पुत्र इलियास अली,

2– विजय पासी उम्र 21 वर्ष पुत्र राम विलास,

समस्त निवासीगण ग्राम हरीपुर मिर्दहा, थाना खीरों, जनपद रायबरेली।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1–राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–99/2026
धारा–317(2),309(6) बी०एन०एस०
थाना–खीरों, जिला रायबरेली।

दिनांक–14.07.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सरफराज अली एवं विजय पासी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–99/2026 धारा–317(2),309(6) भारतीय न्याय संहिता, थाना–खीरों, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्तः इस प्रकार है कि, "प्रार्थिनी निर्मला पत्नी रामबाबू नि०ग्रा० मिश्रन खेड़ा थाना खीरों जनपद रायबरेली की रहने वाली है। मैं अपनी बच्ची नेहा को शौच करवाने गयी थी तभी मेरे पीछे दो पहिये की मोटर साइकिल गाड़ी से दो व्यक्ति समय करीब 7.30 शाम को आए और मेरा मोबाइल छीन कर भागने लगे उनके भागते समय मैंने उनकी मोटर साइकिल की केरियल पकड़ लिया लेकिन वो रूके नही और मुझे रोड़ घसीटते हुए करीब 50 मीटर तक ले गये उसके बाद मेरा हाथ छूट जाने पर मै रोड पर ही गिर गयी और वो मेरा मोबाइल लेकर भाग गये मेरा टच मोबाइल ओप्पो लाल कलर का था मुझे चोट लग जाने की वजह से मैने अपना इलाज सी एच सी खीरो मे करवाया था मेरा मोबाइल छीनकर भागने वाले व्यक्ति काली कलर की स्पैलेन्डर मोटर साइकिल से थे। मुझे चोट लगने के कारण घटना के दिन प्रार्थना पत्र नही दे सकी थी इस लिए आज हम आज प्रार्थना पत्र देने आयी है। मैं घटना से भयभीत हूँ।"

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना का दिनांक, स्थान दर्ज न होना सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी चोटो का इलाज दिनांक 09.06.2026 को सी०एच०सी० खीरों में कराया जाना कहा गया है, जबकि प्रथम सूचना

रिपोर्ट वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 11.06.2026 को 12:50 बजे दो दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब से दर्ज करायी गयी रिपोर्ट का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा की चोटे साधारण प्रकृति की है, लिहाजा सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्द है। वास्तविक घटना यह है कि अभियुक्तगण की मोटर साइकिल के सामने अचानक वादिनी मुकदमा आ गयी जिसे बचाने का पूरा प्रयास किया गया, परन्तु मोटर साइकिल की टक्कर लग जाने के कारण वह सड़क पर गिर गयी और उसे चोटे आयी। वादिनी मुकदमा व परिवार वाले मौके पर आ गये और प्रार्थी/अभियुक्तगण से 50 हजार रू० दवा इलाज हेतु देने का दबाव बनाने लगे। प्रार्थी/अभियुक्तगण वादिनी मुकदमा को दवा इलाज हेतु 5 हजार रू० देने को तैयार थे, परन्तु वादिनी मुकदमा व उसके घर वाले 50 हजार रू0 से कम पर मानने को तैयार नहीं हुए और जब प्रार्थी/अभियुक्तगण वादिनी मुकदमा के पैसो की मांग पूरी नही कर पाये तो घटना के दो दिन बाद कानूनी सलाह मशविरा लेकर गलत तथ्य दर्शाते हुए स्थानीय थाना पुलिस से सांठ गांठकर यह फर्जी तरीके से रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार, रायबरेली में निरुद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अं० धारा 304 (2) बी०एन०एस० मे दर्ज की गयी और बाद में गलत रूप से पुलिस से सांठ गांठकर धारा 317(2), व 309 (6) बी० एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी। जबकि कथित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी प्रकार की मारपीट व अपराधिक बल प्रयोग का कोई जिक्र नहीं है जिससे उपरोक्त मामले में धारा 309 (6) बी०एन०एस० का कोई अपराध गठित नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ओप्पो मोबाइल रंग लाल को छिनने का आरोप लगाया गया है, जबकि मोबाइल नम्बर व मोबाइल माडल का उल्लेख न किया जाना सम्पूर्ण घटना को संदिग्ध बना रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तरतीब देने के लिए प्रार्थी/अभियुक्तगण को नामजद नहीं किया गया है। थाना पुलिस खीरों द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण के पास से फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है और कथित बरामदगी में कोई स्वतन्त्र साक्षी का न होना अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना रहा है। दिनांक 11.06.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है और दिनांक 12.06.2026 को प्रार्थी/अभियुक्तगण का चालान पुलिस द्वारा किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं किया गया जिसकी वजह से थाना पुलिस खीरों ने प्रार्थी/अभियुक्तगण को घर से पकड़कर उनका चालान किया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है थाना पुलिस खीरो गलत तरीके से प्रार्थी/अभियुक्तगण को अपराधी बनाने का प्रयास कर रही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष होते हुए भी दिनांक 12.06.2026 से जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित नही किया गया न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी विश्वसनीय जमानते दाखिल करने को तैयार

है, तथा प्राप्त जमानत का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगे, तथा न्यायालय श्रीमान जी द्वारा नियत तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आयेंगे एवं वाद के निस्तारण में न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि, वादिनी मुकदमा अपनी बच्ची नेहा को शौच करवाने गयी थी तभी उसके पीछे दुपहिया मोटर साइकिल गाड़ी से दो व्यक्ति आये और उसका मोबाइल छीन कर भागने लगे। भागते समय वादिनी मुकदमा ने मोटर साइकिल की केरियल पकड़ लिया पर वे नहीं रुके और रोड पर घसीटते हुए काफी दूर तक ले गये। जिससे वादिनी मुकदमा का हाथ छूटा वह रोड पर ही गिर गयी जिससे वादिनी मुकदमा को चोटे भी आयी थी और वे मोबाइल लेकर भाग गये। यदि अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये गये तो उनके द्वारा जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा का मोबाईल छीन कर भागने का उल्लेख किया गया, जिसके बचाव में वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की मोटर साइकिल को पकड़ने का प्रयास किया गया, परन्तु वादिनी मुकदमा रोड पर गिर जाने के कारण चोटहिल हो गयी। अभियोजन कथानक व आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए बचाव कथन से यह तथ्य विवादित नहीं है कि, दिनांक 09.06.2026 की कथित घटना (मेडिकल कराने/रिपोर्ट के अनुसार), के बाबत दिनांक 11.06.2026 को समय 12.50 बजे वादिनी मुकदमा द्वारा उसका मोबाइल लूटने के सम्बन्ध में अज्ञात चोर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्तगण का नाम, कथित गिरफ्तारी, बयानों व बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी। पत्रावली में उपलब्ध केस डायरी में तथाकथित घटना के संबंध में किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान का उल्लेख नहीं है। कथित बरामदगी/गिरफ्तारी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 12.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। केस डायरी संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 5 पर चिकित्सक के बयान के आधार पर पीड़िता को कुल चार चोटें आने का उल्लेख किया गया है, जो कि साधारण प्रकृति की है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 12.06.2026 से जिला कारागार रायबरेली में निरुद्ध है। अतः मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को

दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सरफराज अली एवं विजय पासी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–99/2026, धारा–317(2),309(6) भारतीय न्याय संहिता, थाना–खीरों, जिला रायबरेली के मामले में, प्रत्येक द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक–एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि प्रार्थी–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचनभंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि प्रार्थी–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें –

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझकर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Maneesha Kumari
(Stenographer)

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.15 17:10:53 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli